

प्रपत्र – क
स्प्रिंकलर सेट हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

उप संचालक कृषि,

जिला –

नवीनतम पासपोर्ट
साईज का प्रमाणित
फोटो

विषय :- स्प्रिंकलर सेट के लिये अनुदान बाबत आवेदन पत्र।

मैं अधोहस्ताक्षरी स्प्रिंकलर सेट क्रय करना चाहता हूँ। अतः मुझे शासन की प्रचलित योजना के अंतर्गत अनुदान स्वीकृत किया जाये। मेरा आवेदन निम्न विवरण के साथ प्रस्तुत है :-

1. आवेदक कृषक का नाम :
- आयु (महिला / पुरुष)
2. पिता / पति का नाम :
3. किस वर्ग के कृषक हैं : 1. अनुसूचित जाति / अनु.जनजाति / सामान्य
2. लघु / सीमान्त / मध्यम / बड़े कृषक
4. निवास का पता :
5. ग्राम का नाम जहां स्प्रिंकलर सेट लगाना है :
6. तहसील जिला
7. खसरा क्रमांक व रकबा जिस : खसरा क्र. रकबा हे.
8. अ- पानी उठाने के साधन :
- विद्युत / डीजल
- ब- विद्युत प्रभाव है अथवा नहीं :
9. सिंचाई साधन क्या है : कुंआ / तालाब / ट्यूबवेल / नदी / नाला / बाबड़ी
10. स्प्रिंकलर सेट क्रय करने का विवरण : कंपनी का नाम
- संस्था / डीलर का नाम
- राशि रूपये
11. अ- क्या स्प्रिंकलर सेट नगद पर / ऋण पर लिया जा रहा है? :
- ब- जिस बैंक / संस्था से ऋण :
- लिया जा रहा उसका पूर्ण पता

---2---

12. स्प्रिंकलर सेट लगाने पर सुरक्षा :
व्यवस्था क्या होगी (चोरी आदि से)

उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा इसके लिये मैं उत्तरदायी हूँ।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर कृषक

आवेदक का डाक का पता

पूरा नाम :

डाकखाना:

विकासखंड:

संचालनालय कृषि
पृष्ठ – 2
(कृषि विभाग के उपयोग हेतु)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदक द्वारा पूर्व पृष्ठ पर बिन्दु क्रमांक 1 से 11 तक जानकारी को मौका मुआयना कर जांच कर ली है, जानकारी सही पाई गई है बिन्दु क्रमांक की जानकारी सही पाई गई।

आवेदक को पात्रतानुसार अनुदान स्वीकृत करने की अनुसंशा की जाती है।

प्रतिहस्ताक्षरित
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी
अनुविभागीय कृषि अधिकारी
विकासखण्ड/उपसंभाग
जिला

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/
कृषि विकास अधिकारी
विकासखण्ड
जिला

कार्यालय उप संचालक कृषि

क्रमांक दिनांक

आदेश

आवेदक कृषक पिता/पति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लघु/सीमांत/मध्यम/बड़े कृषक/महिला/पुरुष श्रेणी के हैं।
अतः उन्हें अनुदान राशि रूपये स्वीकृत की जाती है।

राशि का भुगतान अनुविभागीय कृषि अधिकारी/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से भौतिक सत्यापन के उपरांत बैंक खाते में अथवा ऋण खाते में जमा कर दिया जावेगा। राशि का भुगतान ड्राफ्ट/पे-आर्डर के माध्यम से किया जावेगा।

उप संचालक कृषि
जिला

शपथ – पत्र

मैं ग्राम
 विकासखंड जिला के द्वारा शासन को लघु सिंचाई
 योजनांतर्गत स्प्रिंकलर क्रय करने के लिये रुपये का
 अनुदान प्राप्त कर स्प्रिंकलर सेट नोजल पाईप सिंचाई के लिये प्राप्त
 किया।

मैं वल्द
 शपथपूर्वक घोषड़ा करता हूँ कि इस प्रकार अनुदान पर प्राप्त स्प्रिंकलर का मैं सिंचाई के लिये उपयोग
 करूंगा।। इस स्प्रिंकलर सेट को मैं अगले पांच वर्षों तक अन्य को नहीं बेचूंगा। यदि मैं स्प्रिंकलर सेट को
 अन्य को बेचता हूँ या हस्तांतरित करता हूँ तो अनुदान की राशि मय 12.5 प्रतिशत के ब्याज सहित
 शासन को वापस करने को बाध्य रहूँगा। यदि धन राशि वापस नहीं की जाती है तो सम्पूर्ण भू-राजस्व
 को बकाया बतौर वसूल की जा सकेगी।

प्रति हस्ताक्षरित

(कृषक)

उप संचालक कृषि,

जिला –

छत्तीसगढ़